

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(21)राज/वाद/14

जयपुर, दिनांक 4.7.18

:: आदेश ::

श्री लोकेन्द्र सिंह, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, झुन्झुनू की सेवा अवधि दिनांक 01.03.18 से दिनांक 28.02.19 तक एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है।

आज्ञा से


५०

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश झुन्झुनू।
7. जिला कलक्टर, झुन्झुनू।
8. कोषाधिकारी, झुन्झुनू।
9. श्री लोकेन्द्र सिंह, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, झुन्झुनू।
10. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
11. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


04/7/2018

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि